

मध्यप्रदेश विधान सभा

437

मार्च-मई, 1998 सत्र

विनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 (वैत्र 12, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ब के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 21.3.97 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकायों संबंधी प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राज्य शासन के परिवर्तित निर्णय का जापन पटल पर रखेगे।

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, बाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्धात निगम मर्यादित का बीसवा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेख, दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, पटल पर रखेगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. माधवप्रसाद शास्त्री, सदस्य, दमोह जिले में बीड़ी श्रमिकों का शोषण होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट की ओर लोक स्वास्थ्य धारिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेगे :—

“ सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है। ”

5. धारिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलखन सिंह (त्योंधर), सदस्य, रीवा जिले के ग्राम चन्दपुर से ग्राम कोटरा कला तक सइक का डामरीकरण तथा कोटरा कला से गढ़ी तक गिट्टीकरण कराये जाने ;

(2) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -

(क) ग्राम धनपुरी कुवराटोला में बिजली लगाये जाने ;

(ख) ग्राम राधपुर में बिजली लगाये जाने ;

(ग) शहडोल नगर स्थित होम्योपैथी औषधालय का उन्नयन किये जाने ; एवं

(घ) ग्राम पंचायत नवलपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(3) डॉ. सिद्धाराम साहू, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम खेरथा बाजार के टोला में बिजली लगाये जाने ;

(4) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम अवन्तिपुर बड़ोदिया में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;

(5) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम डुमरिया तथा डबरा पारा के बीच गोबरी नदी पर पुल बनाये जाने ;

- (6) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल नगर की द्युगमी बस्ती बल्लभ नगर क्रमांक-२ की गटर लाइन की मरम्मत कराये जाने;
- (7) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पिपरिया परौहा के कृषकों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने; तथा
- (8) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम इटुआ में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

के संबंध में धारिकायें प्रस्तुत करें।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. आशोक साबले, सदस्य, द्वारा
दिनांक २३ मार्च, १९९८ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमांक)

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।”

निर्धारित
समय

३० मि.

(१) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करें कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भूष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, १९९८ (क्रमांक ६ सन् १९९८) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाय।

१५ मि.

(२) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करें कि मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम (निरसन) विधेयक, १९९८ (क्रमांक ७ सन् १९९८) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाय।

१ घन्टा

(३) श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करें कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, १९९८ (क्रमांक ९ सन् १९९८) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाय।

8. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

१ घन्टा

३० मि.

प्रवेश के अनेक क्षेत्रों में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, बनवारीलाल अग्रवाल, मुनिराम साहू, रघुनन्दन शर्मा, डॉ. दालसिंह बिसेन, लल्लू सिंह, और्धरी राकेश सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेंजवार, रामलखन सिंह (त्योंधर), सुरेन्द्र वर्मा, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, विरोजीताल सोनकर, बच्चन नायक, चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री अखण्ड, सदस्य, चर्चा उठायें।

के.पी. तिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :

दिनांक : १ अप्रैल, १९९८

विधायक सभा के लिये द्यूमिति विधायक सभा के लिये द्यूमिति

विधायक सभा के लिये द्यूमिति विधायक सभा के लिये द्यूमिति

विधायक सभा के लिये द्यूमिति विधायक सभा के लिये द्यूमिति